कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर–452003
Ph-0731-2541497-98
(e-mail–cephedind@nic.in. &cephedind@gmail.com)

क्रमांक 161 /स्था./मु.अ./लोस्वायांवि./2025 इन्दौर, दिनांक 05/05/2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP NO. 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक/भोपाल/दिनांक 04.01.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 296/1857412/2024/26–1/भोपाल/दिनांक 21.02.2024 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5413/स्था.अराज/प्र.अ./भोपाल, दिनांक 07.06.2024 के द्वारा दिव्यांगजनों के चिन्हांकित रिक्त पदों पर चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में लाते हुए दिनांक 07.10.2024 को आयोजित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियमित हैण्डपम्प तकनिशियन के पद पर वेतनमान (रू. 5200–20200+2100 ग्रेड–पे) में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पे मेट्रीक्स लेवल–5 (रू. 22100–70000) में न्युनतम वेतन रू. 22100/– (समय–समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) निम्नलिखित शर्तो के साथ निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर संबंधित नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र॰	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्मतिथि	दिव्यांगत की श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री मुकेश तिवारी पिता श्री कृष्णमणि तिवारी ग्राम–हरदुआ पोस्ट–स्लीमनाबाद तहसील–स्लीमनाबाद जिला–कटनी 483440	02–02–1995	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड–शाजापुर
2.	श्री अब्दुल समद पिता श्री अब्दुल वहाब 42–बी, लाला लाजपतराय कॉलोनी , नगर निगम आफिस के पास, वार्ड–41 बाग दिलकुशा, जिला–भोपाल 462023	27–11–1989	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड–बुरहानपुर

.... 2

Order 2019 VJ

क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्मतिथि	दिव्यांगत की श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	श्री नीरज जायसवाल पिता श्री पवनकुमार जायसवाल वार्ड नं. 12 कुम्हारी मोहल्ला, अमरवाड़ा, जिला—छिंदवाडा 480221	22—05—1990	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—नीमच
4.	श्री अभिषेक हयारण पिता श्री घनश्याम हयारण 121 प्रभुनगर, अन्नपूर्णा रोड़, जिला— इन्दौर 452012	25—05—1987	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—आगर मालवा
5.	श्री हेमन्त कुमार गौतम पिता श्री जयराम प्रसाद गौतम 181 वार्ड नं. 36, डालीबाबा कामता टोला, जिला—सतना 485001	01—12—1987	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—मन्दसौर
6.	श्री विपिन पटेल पिता श्री विनायक पटेल ग्राम+पोस्ट—हर्दी तहसील—गुढ जिला—रीवा 486553	06—01—1986	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—रतलाम
7.	श्रीमती आशी गौर पिता श्री गोविन्दराम गौर 290 दुर्गेश विहार, जे०के० रोड़ जिला—भोपाल 462041	25—09—1994	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—देवास
8.	श्री कनक जोशी पिता श्री महेश जाशी 1260 गौरी नगर, इन्दौर 452010	29—10—1999	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—इन्दौर
9.	श्री गिरीश कुमार गौड पिता श्री भैरोलाल गौड ग्राम—शिवलालपुरा पोस्ट—कुल्होली तहसील—सबलगढ़ जिला—मुरैना 476229	09—04—1993	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—खरगोन

.... 3

क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्मतिथि	दिव्यांगत की श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	श्री महेन्द्र झारिया पिता श्री सुरेश झारिया म.नं.18, वार्ड नं.03 पोला रोड, प्रेमनगर कटंगी, तहसील—पाटन जिला—जबलपुर 483105	20—08—1988	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—सरदारपुर
11.	श्री संजय मिश्रा पिता श्री राजकुमार मिश्रा ग्राम—रायखेड़ा पोस्ट—मुआंर खास तहसील—देवरी जिला—सागर 470226	04—02—1992	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—झाबुआ
12.	श्री प्रदीप डेहरिया पिता श्री गोविन्द प्रसाद डेहरिया वार्ड नं.01, मायावाडी नदी मोहल्ला, बेलगांव तहसील—परासिया जिला—छिंदवाडा 480557	21—06—1989	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—खण्डवा
13.	श्री जितेन्द्र पाठेकर पिता श्री राजाराम पठिकर 630 मांउट बर्ग टाउनशिप, नायता मुण्डला ब्रिज के पास, न्यू आरटीओ रोड, जिला—इन्दौर 452020	04—07—1992	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—उज्जैन
14.	श्री योगेश प्रताप सिंह पिता श्री हीरामणि सिंह 264 सी सेक्टर, स्लाईस—1 स्कीम नं.78 अरण्य नगर, जिला—इन्दौर 452010	02—10—1985	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—धार
15.	श्री प्रदीप कुमार चन्द्रवंशी पिता श्री वेदकुमार चन्द्रवंशी ग्राम—लुडगी, पोस्ट—बकोड़ा, तहसील—छपारा जिला—सिवनी 480884	31—07—1989	बहेरे एवं कम सुनने वाले	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड—बड़वानी

.... 4

यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :—

1) यह नियुक्ति आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ सी—3—15/2012/1/3/भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के परिप्रेक्ष्य मे जारी किया जा रहा है। अतः उपस्थिति पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति बिना शपथ पत्र प्रस्तुति के कार्य पर मान्य नही होगी।

2) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

3) अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अपना स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नही होने दिया जावेगा।

4) म॰प्र॰शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्र॰ एफ—7—19/2019/आ.प्र./एक/भोपाल/दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार दिव्यागंत प्रमाण—पत्रों की जॉच कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये एवं कंडिका 2.7 के प्रावधान अनुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा टेस्ट (BERA TEST) करवाना अनिवार्य है।

5) अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण—पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण—पत्र डिजिटल प्रति/विकलांगता प्रमाण—पत्र मूल एवं डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण—पत्रों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। जो मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हताये पूर्ण न करने पर यह आदेश स्वयमेंव निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

6) उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी—3—13/2019/3/एक/भोपाल, दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु (अ) एवं (ब) के परिप्रेक्ष्य मे कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से यह नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी एवं परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जावेंगा। एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) वित्त विभाग क्रमांक 73/भोपाल, दिनांक 22.02.2020 के परिपालन मे नियमानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

.... 5

7) मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

8) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 1/एफ–9/3/2003/नियम–चार/भोपाल, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगें। वर्णित ज्ञाप अनुसार अशंदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।

9) रिक्त पदों पर नियुक्तियां, यथसंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के उपबंधो अनुसार 26.01.2001 के पश्चात् अभ्यर्थी को कोई तीसरी संतान नही है, के आधार पर की जा रही है, यदि उक्त संबंध में तथ्य असत्य पाये जाते है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।

10) उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि/स्थाईकरण/वरिष्ठता/पदोन्निति आदि मध्यप्रदेश सिविल(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अध्याधीन होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अनुसार रहेंगें।

11) अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पालन करना होगा।

12) चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के संबंध में प्रतिकुल स्थिति या गडबड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

13) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभी औपचारिकताओं सहित अपने पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि एक माह के भीतर अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नही करते है तो यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति लेने के इच्छुक नही है तथा संबंधित अभ्यर्थी का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

14) प्रार्थी को नियुक्ति स्थल तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.... 6

15) कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवा एक माह की सुचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

16) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 1/एफ–9/3/2003/नियम–चार/भोपाल, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगें। वर्णित ज्ञाप अनुसार अशंदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।

17) मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य समस्त शर्ते एवं आदेश यथावत् प्रभावशील होंगे।

(विजय सिंह सोलंकी)
मुख्य अभियंता

पृ. क्रमांक 2970/स्था./मु.अ./लोस्वायांवि./2025 इन्दौर, दिनांक 05/05/2025
प्रतिलिपि–

1) महालेखाकार, भोपाल/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 5413/स्था/अराज/दिनांक 07.06.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3) संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इन्दौर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर/उज्जैन/खरगोन की ओर सूचनार्थ।
5) उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड...की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति के समय उपर वर्णित समस्त कंडिकाओं के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण किये जाने पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायें।
7) जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8) संबंधित..की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। उपरोक्त आदेश में वर्णित सभी कंडिकाओं अनुसार समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छायाप्रतियों से साथ आदेश प्राप्ति दिनांक से एक माह की अवधि में अपने पदस्थाना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
9) आदेश नस्ती।

मुख्य अभियंता